WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1 बिजनौर

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 05/2020

CNR No UP BJ010000132020

सरकार बनाम इमरान आदि

धाराः 147,148,186,307,323,332,353, 504,506 भा0द0सं0 व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम

अपराध सं0: 618/2019

थाना : नजीबाबाद,

जिला : बिजनौर

आदेश

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण–अभियुक्तगण इमरान, दिलशाद, शुऐब, अदनान, अहसान एवं अलीशान की ओर से अपराध सं0 618/2019 अन्तर्गत धारा 147,148,186,307,323,332,353,504,506 भारतीय दण्ड संहिता व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन के अनुसार वादी पवन कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इन कथनों के साथ दर्ज कराई गई है कि दिनांक 20–12–2019 को वादी मय हमराहियान देखरेख शान्ति व्यवस्था में मामूर थे। मुखबिर खास से सूचना मिली कि कस्बा जलालाबाद के 100 से 150 व्यक्ति नागरिक संशोधन कानून/एनआरसी को लेकर एनएच–74 जाम करने जा रहे हैं। इस सूचना पर वादी मय हमराहियान के साथ नगर पंचायत गेट कस्बा जलालाबाद के पास पहुंचा तो जलालाबाद के शफीक अहमद उर्फ गुडडू व इमरान के नेतृत्व में 100–150 लोगों की भीड़ उत्तेजित होकर एनएच–74 को जाम करने लगे। वादी द्वारा काफी समझाया गया, परन्तु भीड़ पुलिस वालों को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए सड़क पर बैठ गये और राष्ट्रीय राजमार्ग 74 को अवरूद्ध कर जाम लगा दिया, जिससे लोग भयभीत होकर गाड़ियों से उतरकर जान बचाकर भागने लगे। उपरोक्त लोगों द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाते हुए शान्ति व्यवस्था भंग की गई। अथक प्रयास से यातायात को सुचारू रूप से चलवाया गया। मौक पर से इमरान (प्रार्थी–अभियुक्त) को गिरफ्तार कर लिया गया तथा शफीक अहमद उर्फ गुडडू व अज्ञात व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे।

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखाई गई है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,

WWW.LIVELAW.IN

फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त इमरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रार्थी–अभियुक्त इमरान व सह अभियुक्तगण द्वारा नागरिक संशोधन कानून/एनआरसी के विरोध में 100 से 150 व्यक्तियों को लेकर एनएच–74 को जाम किया गया। उपरोक्त भीड़ में से पुलिसकर्मियों पर फायर किया गया तथा पथराव किया गया जिससे हमराह अमित कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आयी। प्रार्थी–अभियुक्त इमरान उपरोक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। मौके पर मौजूद उपजिलाधिकारी, नजीबाबाद के आदेश पर न्यूनतम बल प्रयोग कर उपद्रव करने वाले लोगों को भगाया गया था तथा मौके से खोखा कारतूस 315 बोर दो अदद, जनता के जूते चप्पल व ईंट और पत्थर कब्जे में लिये गये। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्व विवेचनोपरान्त धारा–188, 151, 341 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। प्रार्थी–अभियुक्त इमरान को मौके से दिनांक 21–12–2019 को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष अभियुक्तगण को दिनांक 22–12–2019 को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

प्रार्थी–अभियुक्त इमरान नामजद है तथा मौके से गिरफ्तार हुआ है। अन्य प्रार्थीगण–अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है तथा मौके से गिरफ्तार नहीं हुए है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20–12–2019 को 100 से 150 व्यक्तियों द्व ारा नागरिक संशोधन कानून/एनआरसी के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 को जाम किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा समझाये जाने पर भी उपरोक्त भीड़ गाली–गलौच करते हुए सड़क पर बैठ गई जिसके पश्चात पुलिस द्वारा अथक प्रयास से यातायात को सुचारू रूप से चलवाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त भीड़ का नेतृत्व प्रार्थी–अभियुक्त इमरान कर रहा था।

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्व मुख्य रूप से नागरिक संशोधन कानून/एनआरसी के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 को जाम करने का आरोप है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया कि उपरोक्त भीड़ द्वारा पुलिस पर फायर तथा पथराव किया गया किसी भी पुलिसकर्मी को फायर आर्म इन्जरी नहीं हुई है और ना ही किसी भी अभियुक्तगण से कोई हथियार बरामद हुआ है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया कि उपरोक्त घ टना में अमित कुमार को पथराव से चोटें आयीं है।

अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह दर्शित हो कि उपरोक्त घटना में प्रार्थी–अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण द्वारा तोड़फोड़ की गई व दुकानों तथा मकानों को जलाया गया। अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्व ारा घटना स्थल से 315 बोर का खोखा कारतूस बरामद होना दिखाया गया है, परन्तु प्रार्थीगण–अभियुक्तगण व किसी भी अभियुक्तगण से हथियार से बरामद होना नहीं दिखाया गया है। अभियोजन के अनुसार उपरोक्त घटना में किसी भी पुलिसकर्मी अथवा अन्य व्यक्ति को गोली की चोट नहीं आयी है। पुलिस हमराह अमित कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों को

WWW.LIVELAW.IN

पथराव में चोटें आना बताया गया, परन्तु न्यायालय में ऐसा कोई प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे यह साबित हो कि हमराह अमित कुमार को आयी चोटें गम्भीर प्रकृति की थी। अन्य चुटैल पुलिसकर्मियों की चोटों के सम्बन्ध में कोई भी प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। केस डायरी–7 के क्रम संख्या–11 के अनुसार प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्व विवेचनोपरान्त धारा–188,151, 341 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। प्रार्थी–अभियुक्त इमरान दिनांक 21–12–2019 से कारागार में निरूद्व है तथा अन्य प्रार्थीगण–अभियुक्तगण दिनांक 22–12–2019 से कारागार में निरूद्व है। मामले के गुणदोष पर कोई राय प्रकट किये बिना मेरे विचार में तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार है।

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण इमरान, दिलशाद, शुऐब, अदनान, अहसान एवं अलीशान का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 147,148,186,307,323,332,353,504,506 भारतीय दण्ड संहिता व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को चालीस–चालीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एंव समान राशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1– अभियुक्तगण इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे।

2– अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे।

3– अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करेंगे।

4– विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्तगण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होंगे और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।

(संजीव पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0 1, बिजनौर

दिनॉक 24.01.2020

J.O. Code-UP 1896